

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-202/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री मदनान्तक प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) औरैया के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।


2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
 - 4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/औरैया।
 - 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 - 8- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
 - 9- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 10- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-203/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0लखनऊ।
 - 3- मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
 - 4- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
 - 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 - 8- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
 - 9- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 10- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-204/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार सिंह, पी0सी0एस0, प्रतीक्षारत को जनहित में संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2- अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- आयुक्त, आवास विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 - 6- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
 - 7- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 8- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-205/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती गरिमा यादव, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग अतिरिक्त कार्यभार विशेष सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन का जनहित में सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लखनऊ का पदभार हटाते हुए विशेष सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के पद पर मूलरूप से एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्रीमती यादव तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
 - 2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
 - 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
 - 7- अनु सचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
 - 8- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 9- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-206/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती अर्चना गहरवार, पी0सी0एस0, प्रतीक्षारत को जनहित में सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।
2- श्रीमती गहरवार तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- सम्बन्धित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-207 / दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती रेखा एस0 चौहान, संयुक्त सचिव, खेलकूद विभाग, उ0प्र0 शासन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) औरैया के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्रीमती चौहान प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खेलकूद विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- जिलाधिकारी, औरैया।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- सम्बन्धित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-208/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री हरीश चन्द्र, पी0सी0एस0, प्रतीक्षारत (संबद्ध मण्डलायुक्त, झांसी) को जनहित में स्थानिक प्रतिनिधि, कोलकाता खाद्य रसद विभाग के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री हरीश चन्द्र तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- मण्डलायुक्त, झांसी।
 - 4- आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 5- स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय, उ0प्र0 शासन कोलकाता।
 - 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 - 9- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
 - 10- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 11- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-209/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अलका वर्मा, पी0सी0एस0 प्रतीक्षारत को जनहित में संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 वर्मा तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 6- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-7
- 8- सम्बन्धित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-210/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र पाल सिंह, अपर आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन एवं संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 8- अनु सचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- सम्बन्धित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-211/दो-2-2019
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2019
कार्यालय-ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए सचिव, विकास प्राधिकरण, आगरा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

- 2- श्री त्रिपाठी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- मण्डलायुक्त, आगरा।
 - 4- जिलाधिकारी, आगरा।
 - 5- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, आगरा।
 - 6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
 - 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 8- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
 - 10- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
 - 11- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 11- सम्बन्धित अधिकारी।
 - 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।